न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 80/2021

तारीख दायर 21.9.2021

मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. भैरु पुत्र उंकार जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कालु पुत्र उंकार जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बद्रीलाल पुत्र उंकार जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोहन पुत्र टोड़ा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयागांव (देवगढ़) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुगन पुत्र तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयागांव (देवगढ़) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 22.11.2021

प्रार्थना पत्र श्री मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 64 पर अंकित आराजी संख्या 94, 95, 95/1 किता 3 रकबा 3.3184 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 64 पर अंकित आराजी संख्या 94, 95, 95/1 किता 3 रकबा 3.3184 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)